

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(1)नविवि/3/1981

जयपुर, दिनांक:

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की पूर्व में सीकर के नगरीय क्षेत्र हेतु प्रसारित अधिसूचना क्रमांक: प.10(1)नविवि/3/1981 दिनांक 22.12.2022 में 50 राजस्व ग्राम सम्मिलित करते हुए सीकर के नगरीय क्षेत्र हेतु नवीन मास्टर प्लान-2041 बनाये जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना की निरन्तरता में सीकर के नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2041 के स्थान पर क्षितिज वर्ष 2047 करते हुए सीकर के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 50 राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त 36 नवीन राजस्व ग्राम एवं पूर्व में अधिसूचित राजस्व ग्रामों में से नवीन सृजित 02 अर्थात् कुल निम्न 38 नवीन राजस्व ग्रामों को सीकर के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में जोड़ा जाता है एव मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) के स्थान पर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान को नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
51	धाबाईपुरा (नव सृजित)	Dhabaipura
52	पिपली नगर (नव सृजित)	Pipalee Nagar
53	कहारों की ढाणी	Kaharon ki dhani
54	दोलतपुरा	Daulatpura
55	लक्ष्मण का बास	Laxman ka bas
56	गुमाना का बास	Gumana ka bas
57	दिनारपुरा	Dinarpura
58	सिंहासन	Singhasan
59	पिपराली	Piprali
60	दुर्गापुरा	Durgapura
61	खोरीडूंगर	Khori doonagar
62	मण्डावरा	Mandawara
63	कदमाकाबास	Kadma ka bas
64	काशीकाबास	Kashi ka bas
65	चौखाकाबास	Chokha ka bas
66	पुराबड़ी	Puran bari
67	कासली	Kasli
68	फकीरपुरा	Fakeerpura
69	ताजसरखेजड़ोलियान	Tajsar khejdoliyan
70	ताजसर करणावतान	Tajsar karnawatan
71	श्यामपुरा	Shyampura
72	सिहोट छोटी	Sihot chhoti
73	भूकरो:काबास	Bhookhron ka bas
74	रसीदपुरा	Raseedpura
75	मैलासी	Mailasi

76	विकासनगर	Vikas nagar
77	तेतलीनगर	Tetli nagar
78	भोया	Bhoya
79	पलासिया नगर	Palasiya nagar
80	मालियों की ढाणी	Maliyon ki dhani
81	श्यामपुरा (पूर्वी)	Shyampura (purvi)
82	किकरालिया	Kikraliya
83	चक किकरालिया	Chak kikraliya
84	गोरिया	Goriya
85	भोजा की ढाणी	Bhoja ki dhani
86	सुजावास	Sujawas
87	रैवासा	Rewasa
88	प्रेमसिंहपुरा	Premsinghpura

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)

शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपी:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, सीकर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर।
10. आयुक्त, नगर परिषद, सीकर।
11. अतिरिक्त निदेशक / प्राग्राम नावाव का आधिसूचना राजस्थान राजपत्र क असाधारण अक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम